क्रम संख्या—289

रजिस्ट्रेशन नं०—जी०—11/लाई०—
न्यूज पेपर/91/05—06
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1 खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 28 दिसम्बर, 2006

पौष 7, 1928 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 1573/79—वि—1—01(क)45/2006

लखनऊ, 28 दिसम्बर, 2006

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2006 पर दिनांक 26 दिसम्बर, 2006 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 42 सन् 2006 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिनियम द्वारा प्रकाशित किया जाता है :—

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2006

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 42 सन् 2006)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ।)

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2006 कहा जाएगा। संक्षिप्त नाम

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1980 की धारा 31–घ का प्रतिस्थापन

2–उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 की धारा 31-घ के स्थान पर निम्नलिखित धाराएँ प्रतिस्थापित कर दी जाएंगी, अर्थात् :–

"31–घ (1) किसी व्यक्ति को, जो,–

(क) किसी सहायता अनुदान प्राप्त महाविद्यालय में स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम के अधीन अध्ययन के बी०एड० पाठ्यक्रम में अध्यापनरत था और उक्त पाठ्यक्रम को सहायता अनुदान पर ले लिया गया है, और

(ख) 31 अगस्त, 2003 को या उसके पूर्व से सेवारत रहा हो तथा उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2006 के प्रारम्भ के दिनांक तक महाविद्यालय में अनवरत सेवा करता रहा हो एवं उपधारा-2 के अधीन गठित चयन समिति द्वारा विचार किये जाने के दिनांक को राज्य सरकार द्वारा अवधारित अर्हता रखता हो, और

(ग) उपधारा (2) के अधीन गठित चयन समिति द्वारा नियमित नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाया गया हो,

राज्य सरकार द्वारा सृजित पद पर महाविद्यालय के प्रबन्धतन्त्र द्वारा मौलिक नियुक्ति दी जा सकती है।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट चयन समिति में निम्नलिखित होंगे,–

(क) राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट आयोग का एक सदस्य, जो अध्यक्ष होगा,

(ख) विशेष सचिव की पंक्ति से अनिम्न एक अधिकारी, जो उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग में सचिव द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जाएगा,

(ग) निदेशक।

(3) उपधारा (2) के अधीन गठित चयन समिति प्रत्येक अभ्यर्थी के मामले पर विचार करेगी और उपधारा (1) के उपबन्धों की दृष्टि से उसकी पात्रता के विषय में समाधान होने पर, महाविद्यालय के प्रबन्धतन्त्र को उसका नाम नियुक्ति के लिए संस्तुत करेगी।

मानदेय अध्यापकों का आमेलन

31–ङ (1) धारा 12 और 13 में अंतर्विष्ट उपबन्धों के अधीन यदि कोई रिक्ति विद्यमान है, जिसे उक्त धाराओं के उपबन्धों के अधीन भरा नहीं जा सकता है तो मानदेय अध्यापक, जो सहायता अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में कार्य कर रहा है, राज्य सरकार द्वारा अवधारित शैक्षिक अर्हता रखता है, जिसने तीन शैक्षिक सत्र की न्यूनतम अवधि में कार्य करते हुए मानदेय प्राप्त किया है और उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2006 के प्रारम्भ के दिनांक तक कार्यरत है, को उपधारा (2) के अधीन विहित रीति से आमेलित किया जाएगा।

(2) जहां सहायता अनुदान प्राप्त महाविद्यालय में किसी अध्यापक के पद की मौलिक रिक्ति को सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना हो, तो ऐसे पद को, निदेशक के आग्रह पर प्रबन्धतन्त्र द्वारा उपधारा (1) में निर्दिष्ट मानदेय अध्यापक को दिया जाएगा।

(3) जहां कोई मानदेय अध्यापक, जिसे उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार नियुक्ति प्रदान की गयी है, अनुमत समय के भीतर, जो पन्द्रह दिन से कम नहीं होगा, पदभार ग्रहण करने में विफल रहे, तो उसका अग्रतर दावा स्वतः समाप्त हो जाएगा।

स्पष्टीकरण :–इस धारा के प्रयोजन के लिए :–

"मानदेय अध्यापक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो सहायता अनुदान प्राप्त महाविद्यालय में कार्य कर रहा हो और किसी पाठ्यक्रम के अध्यापन में लगा हो और नियत मानदेय पर राज्य सहायता निधि से भुगतान प्राप्त कर रहा हो और निदेशक के पूर्वानुमोदन से संविदा के आधार पर नियुक्त हो।"

(4) जहाँ निदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रबन्धतन्त्र मानदेय अध्यापक को कोई पद देने में विफल रहता है तो निदेशक ऐसे मानदेय अध्यापक को नियुक्ति-पत्र स्वयं जारी कर सकता है और सम्बन्धित मानदेय अध्यापक उस दिनांक से अध्यापक के रूप में अपना वेतन पाने का हकदार होगा जब वह ऐसे नियुक्ति-पत्र के अनुसरण में पदभार ग्रहण करें।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 1980) में शब्द 'महाविद्यालय' परिभाषित किया गया है। उक्त परिभाषा के अनुसार, उक्त अधिनियम अध्ययन के स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों में नियुक्ति अध्यापकों पर प्रयोज्य नहीं हैं वर्ष 2000 में राज्य सरकार द्वारा यह विनिश्चय किया गया था कि किसी अनुदानित अशासकीय महाविद्यालय के अध्यापकों/कर्मचारियों तथा अनुदानित अशासकीय महाविद्यालय में नए विषय खोलने के लिये आवश्यक अध्यापकों और कर्मचारियों के वेतन के संदाय के लिये राज्य सरकार द्वारा किसी भी रूप में कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जायेगी। अध्यापकों की सेवा में अनिश्चितता के कारण बी०एड० पाठ्यक्रम की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। अतएव बी०एड० और अध्ययन के अन्य पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता को बनाए रखने की दृष्टि से यह विनिश्चय किया गया है कि महाविद्यालय के प्रबंधतंत्र द्वारा अधोलिखित को मौलिक नियुक्ति देने की व्यवस्था करने के लिये उक्त अधिनियम को संशोधित किया जाए–

(क) वे व्यक्ति जो किसी सहायता अनुदान प्राप्त महाविद्यालय में स्व–वित्तपोषित पाठ्यक्रम के अधीन अध्ययन के बी०एड० पाठ्यक्रम में 31 अगस्त, 2003 को या उससे पूर्व अध्यापनरत् रहे हैं और उक्त पाठ्यक्रम को सहायता अनुदान पर ले लिया गया है; और

(ख) मानदेय अध्यापक जो उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2006 के प्रारंभ के दिनांक तक तीन शैक्षिक सत्र की न्यूनतम अवधि में किसी सहायता अनुदान प्राप्त महाविद्यालय में अनवरत रूप से कार्य कर रहे हैं।

तदनुसार उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2006 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,

वीरेन्द्र सिंह,
प्रमुख सचिव।

No.1573 /79-V-1-1(ka)45/2006
Dated Lucknow, December 28, 2006

NOTIFICATION

MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Uchchatar Shiksha Seva Ayog (Tritiye Sanshodhan) Adhiniyam, 2006 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 42 of 2006) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on December 26, 2006 :

THE UTTAR PRADESH HIGHER EDUCATION SERVICES COMMISSION (THIRD AMENDMENT) ACT, 2006

(U.P. ACT No. 42 of 2006)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Higher Education Services Commission Act, 1980.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-seventh Year of the Republic of India as follows:–

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Higher Education Services Commission (Third Amendment) Act, 2006. Short title

Substitution of section 31-D of U.P. Act no. 16 of 1980

2. For section 31-D of the Uttar Pradesh higher Education Services Commission Act, 1980, the following sections shall be *substituted*, namely :—

"31-D(1) Any person, who,—

(a) was engaged to teach in the B.Ed. course of study under self finance course in a *grant-in-aid* college and the said course has been taken on *grant-in-aid; and*

(b) has been engaged on or before August 31, 2003 and continuously serving the college up to the date of commencement of the Uttar Pradesh Higher Education Services Commission (Third Amendment) Act, 2006 and possesses the qualifications determined by the State Government on the date of consideration by the selection committee constituted under sub-section (2); and

(c) has been found suitable for regular appointment by the Selection Committee constituted under sub-section (2);

may be given substantive appointment by the management of the college to the post created by the State Government.

(2) The Selection Committee referred to in sub-section (1) shall consist of,—

(a) a member of the Commission nominated by the State Government who shall be the Chairman;

(b) an officer not below the rank of Special Secretary, to be nominated by the Secretary to the Government of Uttar Pradesh in the Higher Education Department;

(c) the Director.

(3) The Selection Committee constituted under sub-section (2) shall consider the case of each candidate and on being satisfied about his eligibility in view of the provisions of sub-section (1), recommend his name to the management of the college for appointment.

Absorption of teacher on honorarium

31-E (1) Subject to the provisions contained in sections 12 and 13, if any vacancy exists, which can not be filled under the provisions of said sections, a teacher on honorarium shall be absorbed in the manner prescribed under sub-section (2), who is working in grant in *aid* college, possessing educational qualifications determined by the State Government, receiving honorarium, Thereby working for a minimum period of three academic sessions and has been working till the date of commencement of the Uttar Pradesh Higher Education Services Commission (Third Amendment) Act, 2006.

(2) Where any substantive vacancy in the post of a teacher in a grant in *aid* college is to be filled by direct recruitment, such post shall, at the instance of the Director, be offered by the management to teacher on honorarium referred to in sub-section (1).

(3) Where any teacher on honorarium who has been offered appointment in accordance with the provisions of sub-section (2) fails to join the post within the time allowed, which shall not be less than Fifteen days, his further claim shall cease automatically.

Explanation :—For the purposes of this section;—

" teacher on honorarium" means a person working in grant-in-aid college and is engaged in teaching a course of study and receiving payment from the Funds of State aid on a fixed honorarium appointed on a contractual basis with the prior approval of the Director.

(4) Where the Management fails to offer any post to a teacher on honorarium in accordance with the provisions of sub-section (2) within the time specified by the Director, the Director, may himself issue the letter of appointment to such teacher on honorarium and the teacher on honorarium concerned shall be entitled to get his salary as teacher, from the date, he joins the post in pursuance of such letter of appointment.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

IN the Uttar Pradesh Higher Education Services Commission Act, 1980 (U.P. Act no. 10 of 1980) the word 'College' has been defined. In accordance with the said difinition, the said Act is not applicable to the teachers appointed in self-financing courses of study. In the year 2000, it was decided by the State Government that no financial *aid* in any form shall be given by the State Government for the payment of salary of teachers/employees of an unaided Non-Government Degree College and of the teachers and employees necessary for opening new subjects in an aided Non-Government College. Due to uncertainty in service of the teachers the quality of B.Ed. was adversely affecting. Therefore with a view to maintaining the quality of B.Ed. and other Courses of study, it has been decided to amend the said Act to provide for giving substantive appointment by the management of the College to,—

(a) the persons who have been engaged on or before August 31, 2003 to teach in the B.Ed. course of study under self finance course in a *grant-in-aid* college and the said course has been taken on *grant-in-aid*; and

(b) the teachers on honorarium who are working continuously in grant-in-aid college for a minimum period of three academic sessions till the date of commencement of the Uttar Pradesh Higher Education Services Commission (Third Amendment) Act, 2006

The Uttar Pradesh Higher Education Services Commission (Third Amendment) Bill, 2006 is introduced accordingly.

By Order,

VIRENDRA SINGH,

Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए० पी० 3308 राजपत्र (हि0)–(6964)–2006+597–(कम्प्यूटर/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०–ए० पी० 209 सा0 विधा0–(6965)–2006–850 प्रतियां–(कम्प्यूटर/आफसेट)।